

प्रेषक,

श्री बृजभूषण चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों
के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकगण।

लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 1986

विषय :- चयन समितियों में एक महिला सदस्य को नामित किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम
अनुभाग-2

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या-23/2/1986-कार्मिक-2, दिनांक 9 जुलाई, 1986 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में भर्ती हेतु गठित चयन समितियों में एक महिला अधिकारी को भी यथासम्भव रखने का प्रयास किया जाय तथा ऐसे पदों पर जहां महिला अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो इस संबंध में विशेष रूप से प्रयास किया जाना चाहिये कि एक महिला सदस्य भी चयन समिति में सम्मिलित हो।

कृपया उक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
बृजभूषण चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संख्या 928 (1)/चौवालिस-2-13/च.स./86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित सचिवालय के समस्त अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
बृजभूषण चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव।